

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7. परियोजना /स्कीम का स्थान	यह परियोजना एस्सार ऑयल लि०, नोएडा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) प्रोजेक्ट के निर्माण से सम्बन्धित है, जो टूण्डला-एटा (एस.एच.-31) कि०मी० 32 से 33 के मध्य पटरी वॉयी पर स्थित जिनावली, के गाटा सं०- 131 खसरा सं० 393 (स) तहसील जलेसर व जिला एटा उ०प्र० में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। पैट्रोल पम्प पर आने जाने के लिए प्रवेश व निकासी मार्ग का निर्माण किया जाना है जिसमें 0.092 है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है। इस 0.092 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii) जिला	एटा
(iii) वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.092 है० है।
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग, एटा का है।
(vi) हरियाली का घनत्व	शून्य घन०मी०
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L., F.R.L.- 2 मीटर पर परिगणना और F.R.L 4 मीटर भी संलग्न किए जाए।	प्रवेश व निकासी मार्ग निर्माण कार्य में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित स्थल भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शीतलपुर वन ब्लाक संख्या-3. से लगभग 25 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।
(x) क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जाए।)	प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है। अतः क्षेत्र व वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	वर्णित कोई प्रजाति नहीं पायी जाती है।

महत्वपूर्ण स्मारक, क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो सत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य है एवं न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया गया है।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि-निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	मानचित्र संलग्न है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि-निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मानचित्र संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	शीशम, नीम, यूकेलिप्टस आदि। विवरण संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय का विवरण संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाय।	उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषयतः उपयुक्त कालम 7 (xi) (xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	247040.00 हेक्टेयर
(ii) जिले का वन क्षेत्र	1033.297 हेक्टेयर

(iii) मामलों की संख्या रोपित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	60.7061 हेक्टेयर
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	118.13 हेक्टेयर 1070 पौधे
(v) 2013-14 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	—
क. वन भूमि पर	19.60 हेक्टेयर 642 पौधे
(ख) वनेत्तर भूमि पर	—
(13) प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	उक्त प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि:—

स्थान: एटा।

  
 (सेम्मारन एम.)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग  
 एटा। 